दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 8 मार्च, 2021

+ **ज़मानत अर्ज़ी 97/2021**

राघवेन्द्र सिंह उर्फ़ रिंकू ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता सह श्री अखिलेश सिंह और मुकेश सिंह, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

द्वारा : राज्य की अति.लो.अभि. सुश्री कुसुम ढल्ला

और

+ **ज़मानत अर्ज़ी 101/2021**

राघवेन्द्र सिंह उर्फ़ रिंकू ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनिल कुमार सिंह अधिवक्ता सह श्री अखिलेश सिंह और मुकेश सिंह, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

द्वारा : राज्य की अति.लो.अभि. सु श्री कुसुम ढल्ला

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

<u>आदेश</u>

08.03.2021

1. ज़मानत अर्ज़ी 97/2021 में याचिकाकर्ता भा.द.सं. की धारा 34 सहपठित धारा 302/201/120बी के तहत अपराधों के लिए थाना पश्चिम विहार, पश्चिम, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 108/2019 दिनांक 08.03.2019 में ज़मानत की माँग करता है।

2. ज़मानत अर्ज़ी 101/2021 में याचिकाकर्ता भा.द.सं. की धारा 34 सहपठित धारा 302/201/380/411/120बी के तहत अपराधों के लिए थाना पश्चिम विहार, पश्चिम, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 109/2019 दिनांक 09.03.2019 में ज़मानत की माँग करता है। 08.03.2019 को एक महिला का शव सैय्यद गाँव, नांगलोई के गंदे सीवर के पास मिला था। धारा 302/201 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

3. अभिलेख पर दस्तावेज़ात के अवलोकन से पता चलता है कि 09.03.2021 को अर्थात् अगले ही दिन, एक पुरुष का एक

और शव सैय्यद गाँव, नांगलोई के नाले के पास पाया गया था। शव सूटकेस में पाए गए थे। जाँच से पता चला कि शव जागीर सिंह और गुरमीत कौर, पति और पत्नी के थे। दोनों मामलों में मृत्यु पूर्व में गला दबा कर दम घुटने के कारण हुई थी । मृतक दंपति के बच्चों अर्थात् हरजिनर कौर उर्फ़ अंजू, प्रदीप सिंह और मंदीप सिंह ने अपनी बहन दविंदर कौर उर्फ़ सोनिया और उसके प्रेमी प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। दविंदर कौर उर्फ़ सोनिया और प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम का पता लगाने के प्रयास किए गए थे। उन्हें 10.03.2019 को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा बताया गया कि उन्होंनें अपराध कबूल कर लिया और उन्हों नें इंकशाफ किया कि वे पीड़ितों की संपत्ति हड़पना चाहते थे और इसलिए उन्होंने दविंदर कौर उर्फ़ सोनिया के माता-पिता अर्थात् गुरमीत कौर और जागीर सिंह को मारने की साजिश रची। उन्होंनें इंकशाफ किया कि उन्हों नें दिवाकर और यहाँ पर याचिकाकर्ता राघवेंद्र सिंह उर्फ़ रिंकू के साथ एक साजिश रची और गुरमीत कौर और जागीर सिंह की हत्या कर दी। दविंदर कौर उर्फ़ सोनिया और प्रिंस दीक्षित उर्फ़

विक्रम के इंकशाफी बयान पर याचिकाकर्ता को 12.03.2019 को गिरफ्तार किया गया था।

4. याचिकाकर्ता लखनऊ से है। इकबालिया बयान में यह कहा गया है कि प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम याचिकाकर्ता से गोमती नगर में मिला था और उससे गुरमीत कौर और जागीर सिंह की हत्या के लिए मदद माँगी थी, जिसके लिए 50,000/- रुपये का वादा किया गया था। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि लालच बढ़ने की वजह से उसने प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम के साथ गुरमीत कौर और जागीर सिंह की हत्या को अंजाम दिया। दोनों मामलों में आरोप-पत्र दायर किया गया था। आरोप-पत्र के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि गुरमीत कौर की बालियाँ याचिकाकर्ता के निवास से बरामद की गई थीं। गुरमीत कौर की बालियों की पहचान मृत का के बड़े बेटे प्रदीप सिंह द्वारा की गई। आरोप-पत्र में यह भी कहा गया कि सभी आरोपियों ने उस स्थान की पहचान की जहाँ शवों को फेंका गया था। आरोप-पत्र से यह भी पता चलता है कि दो सीसीटीवी फुटेज पाए गए थे जिसमें 02.03.2019 को प्रिंस दीक्षित और

दविंदर कौर उर्फ़ सोनिया को मोटरसाइकिल पर सवारी करते देखा गया जिसमें दोनों के बीच में एक सूटकेस था।

5. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा ने प्रतिविरोध किया कि याचिकाकर्ता 12.03.2019 से हिरासत में है। याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया कि सीसीटीवी फुटेज याचिकाकर्ता की उपस्थिति नहीं दिखाता है। उन्होंनें बताया कि सीसीटीवी फुटेज से केवल यही पता चलता है कि दविंदर कौर और प्रिंस दीक्षित शव को ले कर जा रहे थे। उन्होंनें प्रतिविरोध किया कि गुरमीत कौर की बालियों का उनके घर से बरामद होना याचिकाकर्ता को हत्या के अपराध से नहीं जोड़ ता है। वह ज़मानत अर्ज़ी 27/2021 में दिनांक 03.03.2021 के आदेश पर निर्भर कर ते हैं जहाँ सह-अभियुक्त दिवाकर सिंह को इस न्यायालय द्वारा ज़मानत दी जा चुकी है।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हो रहीं अति.लो.अभि. सुश्री कुसुम ढल्ला ने कहा कि यह तथ्य कि सीसीटीवी फुटेज याचिकाकर्ता की उपस्थिति को नहीं दर्शाता का यह मतलब नहीं है कि याचिकाकर्ता सह-अपराधी नहीं था। वह

बताती हैं कि जाँच से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और प्रिंस दीक्षित लखनऊ से हैं और प्रिंस दीक्षित ने याचिकाकर्ता को दंपति को खत्म करने हेतु अपराध में भाग लेने के लिए पैसे दिए थे। फाज़िल अति.लो.अभि. ने यह दावा किया कि याचिकाकर्ता के घर से मृतक गुरमीत कौर की बाली बरामद की गई है। यह प्रतिविरोध किया गया कि इस तथ्य के साथ बालियों की बरामदगी कि याचिकाकर्ता और प्रिंस दिक्षित लगातार एक दूसरे से फ़ोन पर संपर्क में थे और याचिकाकर्ता और प्रिंस दिक्षित उर्फ़ विक्रम के बीच 15 दिनों की अवधि में लगभग 67 कॉल किए गए यह सभी याचिकाकर्ता की अपराध में भागीदारी को दर्शाता है।

7. याचिकाकर्ता एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की हत्या के जघन्य अपराध का आरोपी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में ज़मानत देने के मापदंडों को निर्धारित किया गया है। राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह, **(2002) 3 एससीसी 598** में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को निर्धारित किया , जो निम्नलिखित शर्तों में ज़मानत देने के अधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन अवश्य करेगा:-

"3. ज़मानत देना यद्यपि एक विवेकाधिकार आदेश है- किन्तु, फिर भी, ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसंगत तरीके से करने की आवश्यकता है न कि अनिवार्य रूप से । ज़मानत का आदेश किसी भी ठोस कारण के अभाव में वैध नहीं ठहराया जा सकता है । हालांकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि ज़मानत देना अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करता है, हालांकि, तथ्य हमेशा मामला दर मामला पर भिन्न होते हैं । हालांकि, समाज में अभियुक्त को लोन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह ज़मानत देने के मामले में अपने आप में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे ज़मानत प्रदान करने का समर्थन करने वाली अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए | अपराध का प्रकार ज़मानत प्रदान करने हेतु बुनियादी विचारों में से एक है- अपराध जितना जघन्य होगा से, ज़मानत नामंजूर होने की उतनी अधिक संभावना होगी, तथापि यह मामले के वास्तविक परिस्तिथियों पर निर्भर करेगा।

4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य विचार जिन्हें प्रासंगिक ठहराया जा सकता है , पर इन परिस्थितियों में ध्यान दिया जा सकता है, हालांकि, वह केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण

नहीं, और न ही कोई अन्य हो सकता है। विचार हैं कि:-

(क) ज़मानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है बल्कि सज़ा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना हो ता है, यदि आरोप से दोषसिद्धि होती है और साक्ष्य आरोपों के समर्थन में है।

(ख) साक्षीगण को डराने धमकाने की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरे की आशंका को भी ज़मानत देने के मामले में न्यायालय को विचार करना चाहिए।

(ग) यद्पि संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने वाले पूरे साक्ष्य के होने की उम्मीद नहीं है किंतु आरोप के समर्थन में न्यायालय को हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए।

(घ) ज़मानत प्रदान करने के मामले में अभियोजन में निरर्थकता पर सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए और केवल सव्यता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की सव्यता के बारे में कुछ संदेह

होने पर, सामान्य परिस्थितियों में, अभियुक्त ज़मानत के आदेश का हकदार है|"

<u>प्रसंता कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी</u>, **(2010) 14 एससीसी 496** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिपण्णी की:-

> **"9.** हमारा विचार है कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से टिकने लायक नहीं है। यह अतिसामान्य है कि यह न्यायालय , सामान्यतः से, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को ज़मानत देने या खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालाँकि, मुद्दे पर इस न्यायालय के बहुत से निर्णयों में निर्धारित मूल सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण ढंग से , सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करना उच्च न्यायालय का समान रूप से कर्तव्य है। यह सुस्थापित है कि , अन्य परिस्थितियों के साथ साथ , ज़मानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं कि:-
> (i) क्या कोई प्रथम दृष्टया या यह विश्वास करने के लिए उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;
> (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता;
(iv) ज़मानत पर रिहा किए जाने पर, आरोपी के फरार होने या भाग जाने का खतरा;
(v) अभियुक्त का चरित्र , व्यवहार, साधन, सम्मान और प्रतिष्ठा;
(vi) अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना;
(vii) साक्षीगण के दबाव डोलने की यथोचित आशंका; और
(viii) ज़मानत मिलने से बेशक न्याय न मिलने का खतरा।

10. यह स्पष्ट होता है कि यदि उच्च न्यायालय इन सुसंगत विचारों का उल्लेख नहीं करता और यंत्र की तरह ज़मानत दे देता है तो उक्त आदेश मस्तिष्क के न इस्तेमाल करने के दोष से ग्रस्त होगा जो इसे अवैध करार कर देगा|

महिपाल बनाम राजेश कुमार , **(2020) 2 एससीसी 118** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न टिपण्णी की :-

"12. यह निर्धारित करने में कि क्या कोई मामला ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है , कई कारकों का संतुलन सम्मिलित होता है, जिनमें अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता और प्रथम दृष्टया अभियुक्त के सम्मिलित होने का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। ज़मानत

देने या न देने के लिए किसी आवेदन का आकलन करने के लिए न्यायालयों के पास कोई सीधा नियम मौजूद नहीं है। आकलन करने के चरण में कि क्या कोई मामला ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है , न्यायालय को अभियुक्त द्वारा अपराध के करने को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती| यह विचारण का विषय है। हालाँकि, न्यायालय को यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या यह विश्वास करने का प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और शामिल विचारों के संतुलन पर अभियुक्त की निरंतर हिरासत आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य में सहायक है। जब निचली अदालत द्वारा ज़मानत दी गई है, वहाँ अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने में संकोच करना चाहिए और ज़मानत को अपास्त करने की शक्ति के प्रयोग के लिए निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए|

8. याचिकाकर्ता के घर से मृतक की बालियाँ बरामद की गई हैं और टीआईपी परेड में उनकी पहचान की जा चुकी है।

यह उसके लिए विचारण में स्थापित करने के लिए है कि बालियाँ कैसे उसके कब्ज़े में आई, यह इस तथ्य के साथ जुड़ता है कि याचिकाकर्ता मुख्य अभियुक्त के साथ संपर्क में था, प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम याचिकाकर्ता को अपराध के साथ जोड़ता है।

9. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिंह ने दिनांक 03.03.2021 के आदेश पर भारी निर्भरता रखी, जहाँ सह-अभियुक्त, दिवाकर सिंह, जो याचिकाकर्ता का चचेरा भाई है, को इस न्यायालय द्वारा ज़मानत दी गई है। दिवाकर सिंह को ज़मानत देते समय इस न्यायालय ने यह पाया कि दिवाकर सिंह याचिकाकर्ता के साथ संपर्क में था और न कि मुख्य आरोपी प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम के साथ, वर्तमान मामले के विपरीत, जहाँ याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी प्रिंस दीक्षित उर्फ़ विक्रम से लगातार संपर्क में था जो कि अभिकथित तौर पर दविंदर कौर उर्फ़ सोनिया का अवैध प्रेमी है। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि दिवाकर के निवास से बरामद मृतक के फोन की पहचान नहीं की गई थी। वर्तमान मामले में मृतक की बाली याचिकाकर्ता के घर से मिली है और उसकी पहचान मृतक

गुरमीत कौर के बेटे ने की है। इसलिए याची का मामला दिवाकर सिंह के मामले के जैसा नहीं है।

10. स्थिति आख्या बताती है कि याचिकाकर्ता और मुख्य आरोपी के बीच कम समय में लगभग 67 फोन कॉल हुई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया कि याचिकाकर्ता और प्रिंस दीक्षित एक ही व्यापार में काम करते थे और चूंकि वे एक दूसरे को जानते हैं, वे एक दूसरे से फोन पर बात करते थे और स्थिति आख्या में कहा गया तथ्य गलत है कि लगभग 15 दिनों में लगभग 67 फोन कॉल किए गए थे। जैसा कि हो सकता है, यह न्यायालय विशिष्टों में जाने का इच्छुक नहीं है और यह ध्यान देना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता अपराध कारित करने के समय मुख्य आरोपी राजकुमार दीक्षित उर्फ़ विक्रम से नियमित संपर्क में था।

11. याचिकाकर्ता दोह री हत्या के अपराध का अपराधी है| याचिकाकर्ता के कहने पर बरामदगियाँ की गई और उसके बताने से बरामद की गई वस्तु मृतक की है और उन्हें मृतक के बेटे द्वारा सही रूप से पहचाना गया। याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी के साथ लगातार संपर्क में था। मामला प्रारंभिक चरण में है ,

आरोपों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है , न्याय से अभियुक्त के भागने की संभावना या साक्ष्य से छेड़छाड़ को इनकार नहीं किया जा सकता है।

12. तदनुसार, ज़मानत आवेदनों का निपटान किया जाता है।

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

08 मार्च, 2021
राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*